पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्यपाल को लोक आयुक्त ने 'वार्षिक प्रतिवेदन-2017' सौपा
राज्यपाल ने लोक आयुक्त के वार्षिक प्रतिवेदन को मुख्यमंत्री को भेजा

लखनऊः 04 अप्रैल, 2018

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक से लोक आयुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा ने राजभवन में भेंट कर 176 पृष्ठीय 'समेकित वार्षिक प्रतिवेदन-2017' प्रस्तुत किया। लोक आयुक्त से प्राप्त वार्षिक प्रतिवेदन को राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेज दिया है।

राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को उक्त प्रतिवेदन प्रेषित करते हुए कहा है कि लोक आयुक्त तथा उप-लोक आयुक्त संगठन, उत्तर प्रदेश से प्राप्त उपरोक्त समेकित 'वार्षिक प्रतिवेदन 2017' आपको प्रेषित करते हुए आपसे अपेक्षा की जाती है कि लोक आयुक्त तथा उप-लोक आयुक्त संगठन के 'वार्षिक समेकित प्रतिवेदन 2017' पर मुझे राज्य सरकार का स्पष्टीकरण ज्ञापन उपलब्ध करायें ताकि उसे राज्य सरकार के स्पष्टीकरण ज्ञापन के साथ राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाया जा सके।

लोक आयुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा ने अपने वार्षिक प्रतिवेदन में उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप-लोक आयुक्त अधिनियम 1975 की धारा 12(6) के अन्तर्गत वर्ष 2017 में विभिन्न मंत्रियों व लोक सेवकों आदि के विरूद्ध प्राप्त भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतों पर की गयी जांच से सम्बन्धित विवरण देते हुए लोक आयुक्त संगठन द्वारा प्राप्त शिकायतों पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, प्रेषित किये गये विशेष प्रत्यावेदनों एवं लोक आयुक्त/उप-लोक आयुक्त द्वारा सौंपी गयी जांच रिपोर्टों पर राज्य सरकार द्वारा अब तक की गयी कार्यवाही आदि से अवगत कराया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 12(7) की अपेक्षा के अनुसार लोक आयुक्त एवं उप-लोक आयुक्त संगठन से प्राप्त उपरोक्त 'समेकित वार्षिक प्रतिवेदन 2017' राज्य सरकार के स्पष्टीकरण ज्ञापन के साथ राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

अंजुम/ललित/राजभवन (133/5)